19/2/18	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। वकील वादी ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12/3/2018 को पेश हो।
12/3/18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील प्रतिवादी अनुपस्थित। वकील वादी की ओर से एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत लिखित बहस व पत्रावली में प्रस्तुत राजीनामा व दस्तावेजों का भी अवलोकन व मनन किया गया। बहस सुनने तथा अवलोकन व मनन करने के पश्चात (i) प्रथम दृष्टया वाद पत्र वादी के हक में नहीं है। क्योंकि वादी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित किया है कि उक्त विवादित आराजीयात ख० नं० 624/1145 रकबा 0.37 एयर भूमि मौजे ग्राम खवा तह० व जिला सवाई माधोपुर पर वादी का 75 वर्षों से कब्जा होना बताया गया है लेकिन कब्जे को सिद्ध करने बाबत विवादित आराजीयात के कब्जे के सम्बन्ध में वादी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। ना ही कोई राजस्व रिकार्ड की श्रृंखला (chain of Revenue Records) प्रस्तुत किया है (ii) ना ही यह सिद्ध होता है कि पूर्व में व वर्तमान में कभी भी वादी व वादी के पूर्वजों का उक्त विवादित आराजीयात के खातेदार मुताबिक राजस्व रिकार्ड रहे हो (iii) पत्रावली में जो राजीनामा प्रस्तुत किया है उसमें प्रतिवादीगणों की ओर से रामफूल को मुख्त्यार आम नियुक्त रामफूल ने राजीनामे में जो हस्ताक्षर किये है वह नोटेरी या किसी अन्य द्वारा प्रमाणित नहीं है, ना ही रामफूल इस न्यायालय में उपस्थित हुआ। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत इन्द्राज दुरस्ती एवं निषेधाज्ञा सम्बन्धी वाद ठोस साक्ष्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर में जारी हुए
	व सबूतो के अभाव में खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय मे लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलेक्टर मु० सवाई माधोपुर	